सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 617 राँची, बुधवार, 8 भाद्र, 1939 (श०)

30 अगस्त, 2017 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

16 जून, 2017

कृपया पढ़ें-

1. उपायुक्त, कोडरमा का पत्रांक-14/स्था०, दिनांक 15 जनवरी, 2014
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का आदेश सं०-3160, दिनांक 31 मार्च, 2014; संकल्प सं०-3247, दिनांक 4 अप्रैल, 2014; पत्रांक-3086, दिनांक 11 अप्रैल, 2016 एवं पत्रांक-3213, दिनांक 17 मार्च, 2017
3. विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी का पत्रांक-366, दिनांक 31 जुलाई, 2015
4. झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची का पत्रांक-1182, दिनांक 16 मई, 2017

संख्या- 5/आरोप-1-524/2014 का.-7244-- श्री रूक्मकेश मिश्र, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच, गृह जिला-गाजीपुर, उत्तर प्रदेश), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, डोमचाँच, कोडरमा, सम्प्रति-कार्यपालक दण्डाधिकारी, पाकुड़ के विरूद्ध उपायुक्त, कोडरमा के पत्रांक- 14/स्था०,

दिनांक 15 जनवरी, 2014 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं। श्री मिश्र के विरूद्ध प्रपत्र- 'क' में निम्नवत् आरोप लगाये गये हैं:-

आरोप सं०-1- डोमचांच अंचल अंतर्गत तराई मौजा (थाना सं०-10) की सभी भूमि खाता सं०-1 अंतर्गत आता है, जिसका कुल रकबा 543.10 एकड़ है तथा इस मौजा में मात्र 10 ही प्लाट है । इसमें से प्लाट सं०-1, 2, 3, 4, 5, 6 एवं 9 जो सर्वे खतियान में गैर मजरूआ जंगल के रूप में दर्ज है, को बिहार सरकार की अधिसूचना सं०- CIP-F/10181/53-4797-R], दिनांक 8 दिसम्बर, 1953 द्वारा सुरक्षित वन के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है । इस वन भूमि का कुल रकबा 531.00 एकड़ है । शेष 3 प्लाट 7, 8 एवं 10 गैर मजरूआ नाला है, जिसका पूरा रकबा 12 एकड़ है, जो आज भी नाला के रूप में मौजूद है । पंजी- II में इस मौजा के कुल रकबा 543.10 एकड़ में से 439.50 एकड़ भूमि की जमाबंदी अब्दुल रजाक खाँ, वल्द कादिर खाँ, साकिन तराई, हजारीबाग जिला के नाम से जमाबंदी सं०-56/01 पर दर्ज है, जिसका लगान 340/-रूपये अंकित है । जमाबंदी कायम करने के प्राधिकार कॉलम का उल्लेख नहीं है । जमाबंदी पर लिखावट नहीं है और पुरानी लिखावट से भिन्न है । अतः यह स्पष्ट है कि बिना वैध आदेश एवं आधार के फर्जी एवं कूटरचित जमाबंदी सं०-56/01 कायम कर पंजी-II में जोड़ी गयी एवं फर्जी रसीद निर्गत किया गया । इस फर्जी जमाबंदी में सिर्फ या तो पूरी तरह से वनभूमि या वन भूमि के साथ-साथ नाला की भूमि सम्मिलित है । आपके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में पंजी-II की जमाबंदी सं०-56/01 के संबंध में लिखा गया है कि यह वर्ष 1963-64 से ही कायम है । यदि यह मान भी लिया जाय कि जमाबंदी आपके पदस्थापन के पूर्व से कायम थी तो आपको एल०पी०सी० निर्गत करने एवं टाटा स्टील के प्रबंधन को पत्र लिखने के पूर्व पूरी तरह छानबीन करने का अवसर था एवं गलत पाए जाने पर इसे रद्द किये जाने की कार्रवाई की जानी थी, जो आपके द्वारा आज तक नहीं किया गया । इस जमाबंदी में मात्र वर्ष 1963-64 लिखने से यह जमाबंदी उस समय की हो जाएगी यह सही नहीं है । इसे जारी रखकर एवं इसके आधार पर गलत एल०पी०सी० निर्गत कर तथा टाटा स्टील लि० के प्रबंधक को गलत तथ्य प्रतिवेदन कर आपने जालसाज की भूमिका निभाई है ।

आरोप सं०-2(क)- आपके द्वारा स्व० अब्दुल रज्जाक खान के पुत्र- पुत्रियों यथा राजीव खान, राजू खान, संजीव खान, अख्तर खान, जैबून निशा, अलमुन निशा, असगरी खातुन, मुन्नी खातुन, मंजूर खान, शमलुल निशा एवं मुन्ना खान के नाम से 427.00 एकड़ भूमि का 11 एल०पी०सी० निर्गत किया गया है । इसे निर्गत करने के लिए आपके द्वारा फर्जी जमाबंदी 56/01 का हवाला तो दिया गया है, परन्तु सही प्लाट संख्या के स्थान पर अस्तित्वहीन एवं काल्पनिक प्लाट (11, 12, 13, 14,

15, 16 एवं 19) दर्ज करते हुए उसमें गैर मजरूआ नाला के प्लाट संख्या 7, 8 एवं 10 को भी सम्मिलित कर दिया गया है । निर्गत सभी एल०पी०सी० में हल्का कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि "जमीन अब्दुल रज्जाक खान को हुकुमनामा द्वारा प्राप्त है एवं उनके नाम पर अंकित है । जमीन गैरमजरूआ खास खाते की है । आवेदक जोत आबाद कर रहे है एवं उनका दखल कब्जा है । अंचल निरीक्षक के सत्यापन पर आपके द्वारा एल०पी०सी० निर्गत किया गया है । यह स्पष्ट है कि अस्तित्वहीन भूमि के आधार पर आपके द्वारा निर्गत किया गया एल०पी०सी० अवैध है । साथ ही गैरमजरूआ खास नाला के लिए भी एल०पी०सी० दिया जाना नियम विरूद्ध है ।

आरोप सं०-2(ख)- स्व० अब्दुल रज्जाक खान के सभी पुत्र-पुत्रियों के नाम आपने अलग-अलग एल०पी०सी० निर्गत किए है, जिसमें आपके द्वारा प्रत्येक पुत्र अथवा पुत्री को भूमि का बराबर-बराबर हिस्सा (38.81 एकड़) प्रतिवेदित किया गया है, जबकि बंटवारा का कोई भी दस्तावेज आवेदकों के द्वारा नहीं दिया गया है । स्पष्ट है कि यह आपके स्तर से स्वतः लिया गया निर्णय है, जो कि मुस्लिम Personal Law के प्रावधानों के विपरीत है ।

आरोप सं०-3- प्रश्नगत जमाबंदी में वर्ष 58-59 से 64-65 तक की माँग एक साथ दिखलाया गया है । वर्ष 1963-64 से 1992-93 तक की अवधि के लिए अंकित 6 रसीदों को डोमचाँच अंचल के लिए निर्गत रसीद बही से नहीं काटी गई है । सभी 6 रसीद किस रसीद बही से लेकर काटे गए है एवं कहाँ के है स्पष्ट नहीं है । 1999 से लेकर 2011 तक तीन रसीदों के माध्यम से लगान की वसूली की गई है । दो लगान रसीद हल्का नं०-III के लिए निर्गत बही से एवं एक रसीद हल्का नं०-VIII के लिए निर्गत बही रसीद से लिया गया है, जबकि तराई मौजा हल्का नं०-XII में पड़ता है । इस प्रकार अन्य हल्कों के लिए निर्गत रसीद बही से तराई मौजा (हल्का नं०-XII) के लिए निर्गत की गई । आपने अपने स्पष्टीकरण में भी लिखा है कि तीनों रसीदों के माध्यम से 8,780/- (आठ हजार सात सौ अस्सी) रू० की वसूली की गई मालगुजारी को सरकारी खजाने में जमा करने का कोई प्रमाण नहीं है । अतः यह स्पष्ट है कि बिना वैध आदेश एवं आधार के फर्जी जमाबंदी संख्या-56/01 कायम कर पंजी-II में जोड़ी गई एवं fictitious amount के लिए फर्जी रसीद निर्गत किया गया है । आपने एल०पी०सी० निर्गत कर एवं टाटा स्टील लि० के प्रबंधक को प्रतिवेदित कर उक्त फर्जी लगान रसीदों को असली लगान रसीद के रूप में मान्यता दी है ।

आरोप सं०-4- डोमचाँच अंचल द्वारा स्व० अब्दुल रज्जाक खाने 11 पुत्र-पुत्रियों के नाम से 427 एकड़ भूमि का 11 एल०पी०सी० निर्गत किया गया है । इन सभी एल०पी०सी० में हल्का कर्मचारी द्वारा

प्रतिवेदित किया गया है कि "जमीन अब्दुल रज्जाक खान को हुकुमनामा द्वारा प्राप्त है एवं उनके नाम पर अंकित है । जमीन गैर मजरूआ खास खाते की है । आवेदक जोत आबाद कर रहे हैं एवं उनका दखल कब्जा है । यह स्पष्ट है कि अस्तित्वहीन भूमि के फर्जी हुकुमनामे के आधार पर गैर मजरूआ खास नाला के लिए एल०पी०सी० अवैध तरीके से निर्गत कर इसे जायज ठहराया गया है ।

आरोप सं०-5- आपके द्वारा दिनांक 18 अगस्त, 2012 की तिथि में 439.50 एकड़ जमीन का एक शुद्धि पत्र निर्गत किया गया है, जिसमें प्रतिवेदित भू-खण्ड का वाद संख्या-56/66-67 दर्ज है । शुद्धि पत्र में प्लाटों का विवरण 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 8, 19 एवं 10 दर्ज है । अंचल में 56/66-67 से संबंधित कोई अभिलेख नहीं है तथा यह एक काल्पनिक वाद संख्या है । इस फर्जी नामांतरण वाद संख्या के 47 वर्ष बाद एक अवैध शुद्धि पत्र जानबूझकर पूर्व की तिथि से निर्गत किया गया । नामांतरण वाद के बाद शुद्धिपत्र तत्काल निर्गत किया जाता है । इस मामले में 47 वर्ष के बाद शुद्धिपत्र का निर्गत किया जाना स्वयं ही संदेह का कारण है । इस बात को आपको सहज रूप से समझनी चाहिए थी और इसको जाँचोपरांत रद्द करना चाहिए था, परन्तु इस पूरे प्रकरण में आप खामोश रहे तथा कार्रवाई करने की बात तो दूर रही आपने किसी भी कर्मचारी, अंचल निरीक्षक अथवा कार्यालय के संबंधित लिपिक से भी पूछताछ करना आवश्यक नहीं समझा । इस प्रकार आपने अपने उत्तरदायित्व का सही निर्वहन नहीं किया है ।

आरोप सं०-6- अस्तित्वहीन भूमि के हस्तांतरण के लिए निबंधन कार्यालय द्वारा जिन कागजातों को आधार बनाया गया है, उनमें से निम्नांकित कागजात आपके कार्यालय से निर्गत किये गये है- (i) एल०पी०सी०, (ii) अंचल अधिकारी, डोमचाँच का पत्रांक-388, दिनांक 5 अगस्त, 2013, (iii) अंचल अधिकारी, डोमचाँच का पत्रांक-193, दिनांक 9 अप्रैल, 2013, (iv) नामांतरण शुद्धि पत्र निर्गत तिथि दिनांक 18 अगस्त, 2012 एवं (v) लगान रसीद संख्या-5728883. इस प्रकार आप अस्तित्वहीन एवं काल्पनिक भूमि के बिक्री में सहयोग देने एवं विक्रेताओं को अवैध रूप से प्राप्त हुए रू० 4.78 करोड़ की राशि के बंदरबाँट में शामिल होने के दोषी है । साथ ही आप आपराधिक लापरवाही एवं आपराधिक षडयंत्र के भी दोषी है ।

आरोप सं०-7- उपायुक्त, कोडरमा के ज्ञापांक-2620/गो०, दिनांक 29 सितम्बर, 2011 एवं ज्ञापांक-2856/गो०, दिनांक 9 नवम्बर, 2011 के द्वारा निर्गत आदेश से जिले के सभी अंचलों के किसी भी मौजे में सरकारी भूमि/गैरमजरूआ भूमि का फर्जी और जाली हुक्मनामों के आधार पर फर्जी और जाली हस्तांतरण, नामांतरण, लगान निर्धारण, जमाबंदी, लगान रसीद निर्गमन पर रोक लगा हुआ था । एल०पी०सी० में कर्मचारी ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट कर दिया था कि यह गैर मजरूआ खास भूमि

है । उपायुक्त, कोडरमा के उपरोक्त आदेश में यह भी निदेशित था कि भूतपूर्व जमींदारों के हुकुमनामों के आधार पर कायम अवैध जमाबंदियों की जाँच कर अंचल अधिकारी उसे रद्द करने की कार्रवाई करेंगे । गैर मजरूआ खास सहित अन्य सरकारी भूमि के अवैध रूप से कायम जमाबंदी को रद्द करने हेतु उपायुक्त, कोडरमा द्वारा कई मासिक राजस्व बैठकों में निदेश दिया गया था । यह भी निदेशित किया गया था कि प्रथमदृष्ट्या बड़े रकबे की कायम संदिग्ध जमाबंदी को प्राथमिकता के आधार पर रद्द करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए । उक्त निदेश के आलोक में अपर समाहर्त्ता, कोडरमा की अध्यक्षता में विशेष शिविर का भी आयोजन किया गया था । तराई मौजा के 439.50 एकड़ भूमि पर कायम अवैध जमाबंदी को रद्द करने हेतु आपके स्तर से कोई अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई । यह प्रमाणित करता है कि उक्त अवैध रूप से कायम जमाबंदी की आपको भलीभांति जानकारी थी एवं उक्त जमाबंदी को कायम रखने में आपकी मिलीभगत थी एवं आपका संरक्षण प्राप्त था । यह आवश्यक था कि इसकी पूरी जाँच आपके स्तर से की जाती, परन्तु उपायुक्त के उपरोक्त आदेश के बावजूद आपके द्वारा प्रसंगाधीन अवैध एवं फर्जी जमाबंदी को कायम रखा गया और उसे रद्द करने की कोई कार्रवाई आपके द्वारा नहीं की गई । इस प्रकार आप उपायुक्त के आदेश के अवहेलना कर अनुशासनहीनता के दोषी हैं ।

आरोप सं०-8- आपके द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-388, दिनांक 5 अगस्त, 2013 से मेसर्स टाटा स्टील लि० के मैनेजर को सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत उपलब्ध कराई गई सूचना "मौजा तराई थाना नां० 10 में अब्दुल रज्जाक खान का नाम पंजी-II के पृष्ठ 56/01 पर अंकित है एवं एल०पी०सी० निर्गत है तथा यह जमीन भूदान एवं भूहदबंदी से बाहर है एवं सार्वजनिक प्रस्ताव से मुक्त है तथा मालगुजारी नियमित दिया जा रहा है, जिसका खाता संख्या 01 एवं प्लाट संख्या 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 8, 19, 10 का कुल रकबा 439.50 एकड़ जमीन अनेक रैयत के नाम से जमाबंदी कायम है एवं दखल कब्जा में है" पूर्णतः गलत एवं भ्रामक है, जो आपके द्वारा जानबूझकर अपने स्तर से जालसाजी एवं धोखा देने के नीयत से दिया गया । इस प्रकार आपने टाटा स्टील लि० के प्रबंधक को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत फर्जी जमाबंदी, फर्जी रसीद के आधार पर गलत सूचना दिया ।

आरोप सं०-9- फर्जी जमाबंदी के आधार पर अस्तित्वहीन एवं काल्पनिक भूमि का अवैध तरीके से एल०पी०सी० निर्गत करने एवं सूचना अधिकार अधिनियम के तहत गलत सूचना देकर विक्रेताओं को प्राप्त होने वाले 4.78 करोड़ राशि के बंदरबांट में शामिल होने के आप दोषी है, जो कि जालसाजी, धोखाधड़ी, कर्त्तव्यहीनता, अनुशासनहीनता, आपराधिक षड्यंत्र एवं नैतिक पतन का परिचायक है, यह

सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3(1) के अन्तर्गत सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल है ।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय आदेश सं०-3160, दिनांक 31 मार्च, 2014 द्वारा श्री मिश्र को निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प सं०-3247, दिनांक 4 अप्रैल, 2014 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया, जिसमें श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-366, दिनांक 31 जुलाई, 2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। विभागीय कार्यवाही के दौरान श्री मिश्र द्वारा समर्पित बचाव-बयान निम्नवत् है-

आरोप सं०-1 पर बचाव बयान- आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि इनका पदस्थापन डोमचाँच प्रखण्ड में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पद पर दिनांक 14 फरवरी, 2013 को हुआ था एवं अंचल अधिकारी का प्रभार मिला था । इनके पदस्थापन के पूर्व राजस्व कर्मचारी, अंचल निरीक्षक द्वारा सभी संदेहात्मक जमाबंदी की सूची जिला कार्यालय को भेजी गयी थी, जिसमें तराई मौजा की जमाबंदी को नहीं भेजा गया था, जिससे स्पष्ट है कि इनके पदस्थापन के पूर्व से ही इस तरह की योजना बनाई जा रही थी । टाटा स्टील लि० द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, कोडरमा को पत्रांक-1365, दिनांक 23 मार्च, 2013 द्वारा लिखा गया था कि उन्हें इन खाता एवं प्लाटों के वृक्षारोपण हेतु N.O.C. निर्गत किया जाय । आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि इससे यह स्पष्ट है कि इनके द्वारा टाटा से किसी प्रकार का पत्राचार करने के पूर्व ही टाटा द्वारा अपने पत्र में इस अस्तित्वहीन प्लाटों का जिक्र किया गया था । इससे इनकी मिलीभगत साबित नहीं होती है । इस कथित फर्जीवाडे का पूरा षड्यंत्र मेरे पदस्थापन के पूर्व रचा गया था एवं योजनानुसार पूरी भी की गयी थी । इनके द्वारा कोई फर्जी जमाबंदी कायम नहीं की गयी थी। जो L.P.C. (Land Possession Certificate) उनके द्वारा हस्ताक्षरित की गयी थी, वह कार्यालय की सामान्य प्रक्रियान्तर्गत उनके समक्ष प्रस्तुत की गयी थी । प्रस्तुत L.P.C. में रकबा अत्यधिक होने के कारण इन्होंने राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से पूछताछ की थी, जिसमें पूर्व में ऐसे बड़े रकबे के L.P.C. इसी प्रक्रिया अंतर्गत निर्गत किये जाने का दृष्टांत पंजी में अंकित दिखाया गया था । पंजी-II में आवेदक के पूर्वज का नाम दर्ज पाया गया था । इनके बचाव-बयान के पश्चात् उपायुक्त, कोडरमा द्वारा दिये गये मंतव्य में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि अंचलाधिकारी, डोमचांच द्वारा प्रेषित सरकारी गैर मजरूआ/आम/खास/वन भूमि की सूची के आधार पर निर्गत जिला आदेश में डोमचांच अंचल के मौजों, थाना सं०, खाता सं०, कुल प्लाटों की सं०, कुल रकबा की विवरणी अंकित की गयी है और इस अंकित विवरणी में मौजा तराई का उल्लेख नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिस समय इनके हस्ताक्षर से L.P.C. निर्गत की गयी थी, उस समय विवरणी में मौजा तराई का उल्लेख नहीं था । इन्हें अतिरिक्त प्रभार के रूप में अंचलाधिकारी का

प्रभार दिया गया था । इसके पूर्व अपने सेवाकाल में अंचलाधिकारी के रूप में ये कहीं भी पदस्थापित नहीं रहे। इससे स्पष्ट होता है कि भू-राजस्व में कार्य करने का इन्हें अनुभव नहीं था । अतः स्पष्ट है कि इनके द्वारा कायम जमाबंदी के आधार पर प्रश्नगत भूमि तत्कालीन उपायुक्त के आदेश में संलग्न विवरणी में अंकित नहीं होने के कारण L.P.C. जारी की गयी थी ।

आरोप सं०-2. (क) पर बचाव बयान- आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि मौजा तराई थाना सं०-10 का खतियान और नक्शा डोमचांच अंचल कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, जिसका विवरण उपायुक्त, कोडरमा को पत्रांक-555, दिनांक 14 दिसम्बर, 2013 द्वारा दिया गया था । निर्गत L.P.C. पर राजस्व कर्मचारी द्वारा लिखा गया था कि भूमि आवेदक के दखल-कब्जा में है । साथ ही, 15 अगस्त, 2011 की तिथि में हस्ताक्षर किया गया था । राजस्व कर्मचारी तथा अंचल निरीक्षक द्वारा यह प्रतिवेदित नहीं किया गया था कि भूमि का किस्म नाला है और वन भूमि है । इस प्रतिवेदन के आधार पर L.P.C. निर्गत किया गया था । इनके द्वारा ही इस भूमि को गैर मजरूआ भूमि मानते हुए संदेहात्मक जमाबंदी की सूची में डालते हुए जिला कार्यालय को जमाबंदी रद्द करने का प्रस्ताव भेजा गया था । अधिक रकबे के L.P.C. निर्गत करने के संबंध में कहना है कि इस भूमि से बहुत अधिक भूमि का L.P.C. इनके पदस्थापन के पूर्व जारी होता रहा था । हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा तथ्यों को जिस तरह इनके समक्ष लाया गया था उस समय इनके द्वारा दिये गये तथ्यों पर संदेह करने का कोई आधार नहीं था । किसी भी विषय पर निर्णय लेने के पूर्व अपने वरीय पदाधिकारियों से मार्गदर्शन लेना और अपने सभी कनीय पदाधिकारियों पर अविश्वास करना-दोनों ही बातें व्यावहारिक नहीं हैं ।

आरोप सं०-2. (ख) पर बचाव बयान- आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा L.P.C. प्रस्तुत किये जाने के बाद एवं उनकी अनुशंसा पर हस्ताक्षर किया गया था । इन्होंने कभी भी अंचल अधिकारी के पद पर कार्य नहीं किया था । नवनियुक्त अंचल अधिकारी के लिए सभी नियम-कानून की जानकारी रखना संभव नहीं है । पंजी-2 में आवेदक के पूर्वज का नाम दर्ज रहने के कारण L.P.C. हस्ताक्षरित किया गया था । L.P.C. निर्गत करते समय इनके द्वारा किसी प्रकार का कोई बँटवारा नहीं किया गया बल्कि जिन लोगों को जितनी भूमि पर दखलकार बताते हुए हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन दिया गया, उसी आधार पर L.P.C. निर्गत की गयी । सामान्य जमाबंदी (न कि L.P.C.) रैयत की मृत्यु के पश्चात् उनके उत्तराधिकारियों का जिन-जिन भूमि पर दखल पाया जाता है, उसी आधार पर दखल को देखते हुए निर्णय लिया जाता है । इनके द्वारा न बँटवारा की गयी और न ही मुस्लिम पर्सनल लॉ के विरूद्ध कोई कार्य किया गया है ।

आरोप सं०-3 पर बचाव बयान- आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि पंजी-2 में वर्ष 1963 से 1992-93....1999-2001 तक की अवधि में अंकित 6 रसीदों को उनके द्वारा मान्यता नहीं दी गयी थी । ये लगान रसीद इनके कार्यकाल की नहीं थी । ये कब कटी हैं-यह राजस्व कर्मचारी एवं पूर्व के पदाधिकारी ही बता सकते हैं । इस जमाबंदी को निरस्त करने का प्रस्ताव इनके द्वारा जिला कार्यालय को भेजा गया है । इनके या अंचल कार्यालय, डोमचाँच द्वारा एल०पी०सी० या भूमि बिक्री करने के संबंध में टाटा स्टील कंपनी से कोई भी पत्राचार नहीं किया गया था। निर्गत एल०पी०सी० जमाबंदीदार रैयत के नाम है । चूँकि निबंधन या खरीद बिक्री के संबंध में टाटा स्टील कंपनी द्वारा इस कार्यालय को कोई आवेदन नहीं दिया गया था । अतः यदि टाटा स्टील कंपनी द्वारा डोमचांच अंचल कोडरमा जिला में कोई भूमि खरीद-बिक्री की गयी थी, तो इससे अंचल कार्यालय का कोई संबंध नहीं था । इनके द्वारा द्वारा टाटा कंपनी को कोई भी एल०पी०सी० या भूमि के विक्रय के संबंध में कोई भी पत्राचार नहीं किया गया था । टाटा स्टील कंपनी द्वारा भूमि की खरीद-बिक्री के संबंध में न तो कोई आवेदन दिया गया था और न ही उपायुक्त, कोडरमा द्वारा इस संबंध में कोई प्रतिवेदन की माँग की गयी थी ।

आरोप सं०-4 पर बचाव बयान- आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि अंचल कार्यालय में जमींदारी रिटर्न उपलब्ध नहीं है । अब्दुल रज्जाक खान के 11 पुत्र-पुत्रियों के नाम निर्गत एल०पी०सी० राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच-प्रतिवेदन के आधार पर दिया गया । जैसे ही इन्हें इसके अवैध होने का ज्ञान हुआ, इन्होंने जमाबंदी रद्द करने के लिए सूची जिला कार्यालय भेजी । पंजी-2 का प्रथम कस्टोडियन राजस्व कर्मचारी है । उन्हें इस बात को संज्ञान में लाना चाहिए था । उनके द्वारा अपने कृत्य को सही ढंग से नहीं किया गया । इसी पंजी-2 से पूर्व में निर्गत एल०पी०सी०, जिसके आधारस्वरूप जिला अभिलेखों का उपयोग किया गया था, जिला अभिलेखागार से प्राप्त हुए थे । अतः अकारण किसी फर्जीवाड़ा का कोई आधार नहीं था ।

आरोप सं०-5 पर बचाव बयान- आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि दिनांक 18 अगस्त, 2012 को शुद्धि-पत्र इनके द्वारा निर्गत नहीं किया गया है । ये इनके पदस्थापन के पूर्व का है । जिस वक्त यह शुद्धि-पत्र राजस्व कर्मचारी को निर्गत किया गया; राजस्व कर्मचारी द्वारा कोई आपत्ति कार्यालय को नहीं दी गयी । साथ ही, निर्गत एल०पी०सी० पर राजस्व कर्मचारी द्वारा 15 अगस्त, 2011 को ही हस्ताक्षर एवं अंचल निरीक्षक द्वारा 19 अगस्त, 2011 को किया गया । इस संबंध में इनकी कोई मिलीभगत नहीं है । एल०पी०सी० निर्गत करते समय यह ध्यान नहीं दे पाया कि ये इनके प्रभार

ग्रहण के एक साल नौ माह पूर्व के हैं । लेकिन हस्ताक्षर उन्हीं कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के थे, जो उस समय पदस्थापित थे, इसलिए इन्होंने पुनः हस्ताक्षर करना जरूरी नहीं समझा ।

आरोप सं०-6 पर बचाव बयान- आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि उपायुक्त, कोडरमा के पत्रांक-2640, दिनांक 30 सितम्बर, 2011 द्वारा सभी गैर मजरूआ जमीन की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था । अतः 4.78 करोड़ रूपये का लेनदेन क्रेता एवं विक्रेताओं के बीच रसीद बिक्री होने के उपरांत की गयी । इनके द्वारा निर्गत किसी भी कागजात में रसीद बिक्री का आदेश नहीं दिया गया है । एल०पी०सी० भूमि की खरीद-बिक्री के संबंध में प्रयुक्त नहीं होता है और न ही निबंधन किये जाने का आधार है ।

आरोप सं०-7 पर बचाव बयान- आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि इनके द्वारा उपायुक्त, कोडरमा के ज्ञापांक-2620/गो०, दिनांक 29 सितम्बर, 2011 एवं ज्ञापांक-2856/गो०, दिनांक 9 नवम्बर, 2011 का किसी भी रूप में अवहेलना नहीं किया गया । यह आदेश इनके डोमचाँच पदस्थापन से दो से ढाई साल पहले की है, जिसकी जानकारी राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा इन्हें पहले नहीं दी गयी । अंचल अधिकारी के रूप में पदस्थापन के साथ जो जमाबंदी फर्जी पाई गई, उसका जमाबंदी रद्द करने की सूची जिला कार्यालय को भेजा गया, जिसमें तराई मौजा के अब्दुल रज्जाक खान के 439.5 एकड़ भूमि भी सम्मिलित है ।

आरोप सं०-8 पर बचाव बयान- आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि इनके द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपने पत्रांक-388, दिनांक 5 अगस्त, 2013 के द्वारा जो सूचना टाटा को दी गयी, वह राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर निर्गत किया गया था । इनका कहना है कि टाटा द्वारा अपने पत्रांक-1365, दिनांक 23 मार्च, 2013 में अब्दुल रज्जाक के नाम पंजी-II में चल रही अस्तित्वहीन और काल्पनिक प्लाटों का रकबा सहित विवरण वन प्रमंडल पदाधिकारी, कोडरमा को दिया गया है । साथ ही खतियान की प्रति, रसीद की प्रति, हुकुमनामा, रिटर्न की छायाप्रति, खेवट की प्रति भी संलग्न किया गया है । अतः स्पष्ट है कि इनके द्वारा टाटा को दिग्भ्रमित नहीं किया गया है । टाटा कम्पनी के पदाधिकारी स्वयं ही विक्रेता के साथ सूचनाओं का अदान-प्रदान करते रहे होंगे, तभी उक्त पत्राचारों में उसी भूमि का विवरण दर्ज किया गया है । जो एल०पी०सी० मेरे द्वारा हस्ताक्षरित किया गया, वह कार्यालय के सामान्य प्रक्रिया अन्तर्गत इनके समक्ष प्रस्तुत किया गया । प्रस्तुत एल०पी०सी० में रकबा अत्यधिक होने के कारण इन्होंने अपनी जिज्ञासा के अनुसार राजस्व कर्मचारी अंचल निरीक्षक से पूछताछ किया, जिसमें पूर्व में ऐसे बड़े रकबे के एल०पी०सी० इसी प्रक्रिया के अन्तर्गत निर्गत किया गया है, जो कि दृष्टान्त पंजी में अंकित

दिखाया गया । पूर्व के एल०पी०सी० एवं पंजी-II के अवलोकन से इन्हें यह प्रथमदृष्ट्या सब कुछ प्रक्रियाधीन एवं सामान्य प्रतीत हुआ। एल०पी०सी० निर्गत करने के पूर्व इनके द्वारा पंजी-II का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि इस पर भी आवेदक के पूर्वज के नाम दर्ज है । अतः इसके बाद इनके द्वारा एल०पी०सी० हस्ताक्षरित किया गया ।

आरोप सं०-9 पर बचाव बयान- आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि इनके ऊपर लगाये गये सभी आरोप निराधार हैं । इनके साथ अन्य सरकारी सेवकों द्वारा धोखाधड़ी किया गया था । इनके द्वारा निर्गत कोई भी कागजात, कोई जालसाजी धोखाधड़ी के मंशा से नहीं किया गया था । ये हाल ही में इस अंचल में अतिरिक्त प्रभार में आये थे । पूर्व के अंचलाधिकारी, कर्मचारी, अंचल निरीक्षक द्वारा इनके पदस्थापन के पूर्व निर्गत एल०पी०सी० पंजी-II के अवलोकन के आधार पर फर्जीवाड़ा का कोई आभास नहीं हुआ था, बल्कि सामान्य कार्य समझकर एल०पी०सी० निर्गत किया गया था । अतः इनके द्वारा किसी भी सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1976 के नियम-3(1) का उल्लंघन नहीं किया गया है । इन्हें डोमचाँच में प्र०वि०पदा० के अलावा अंचल का अतिरिक्त प्रभार मिला था । ये नवनियुक्त पदाधिकारी थे, लेकिन अंचल निरीक्षक, राजस्व कर्मचारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी निबंधन कार्यालय में लम्बे समय से अपने कार्यालय में पदस्थापित थे । अपनी सीमा के अंदर हो रही गलती से वे पूर्णतः अवगत रहे होंगे, क्योंकि वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा उल्लिखित भूमि के संबंध में प्रतिवेदन माँगे जाने पर प्रेषित प्रतिवेदन को भूल सुधार हेतु पत्रांक-214/20.04.2013 द्वारा वापस ले लिया गया था । वन प्रमंडल पदाधिकारी ने अपने द्वारा पूर्व प्रेषित प्रतिवेदन को वापस तो भेजा, परन्तु उसी त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन के आधार पर NOC निर्गत कर दिया । इसमें यह भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि भूल सुधार हेतु अंचल अधिकारी द्वारा पूर्व में प्रेषित अंचल कार्यालय को मूल प्रति में वापस किया जा रहा है और अभी तक अप्राप्त है । अतः इससे स्पष्ट होता है कि टाटा कम्पनी को धोखे में रखने का कृत्य इनके प्रतिवेदन से संबंधित न होकर डी०एफ०ओ० के प्रतिवेदन से संबंधित है । अतः षडयंत्र का एक बड़ा आधार उक्त पत्र है न कि इनका हस्ताक्षरित प्रतिवेदन । इस कपटपूर्ण कृत्य का प्रमुख आधार अभिलेखागार से निर्गत उक्त भूमि का खतियान का अभिप्रमाणित प्रति भी है, जो इनके प्रभार से पूर्व का है और जिसे उपायुक्त, कोडरमा ने अपने प्रत्युतर में स्वीकार भी किया है । अतः इसमें प्लाटों में छेड़छाड़ अभिलेखागार से ही हुआ प्रतीत होता है। इसमें अंचल कार्यालय एवं इनका कोई योगदान नहीं है ।

विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया गया जाँच प्रतिवेदन एवं मंतव्य निम्नवत् है:-

आरोप सं०-1 पर मंतव्य- संचालन पदाधिकारी के अनुसार दिनांक 18 अगस्त, 2012 को निर्गत किये गये नामांतरण शुद्धि-पत्र में पंजी-2 में की गयी नामांतरण वाद सं०-56/66-67 अंकित है परंतु शुद्धि पत्र निर्गत किये जाने की तिथि 18 अगस्त, 2012 अंकित है । यदि यह शुद्धि-पत्र नामांतरण वाद सं०-56/66-67 से संबंधित होता तो इसे वर्ष 1966 में ही निर्गत होना चाहिए था न कि वर्ष 2012 में । यह एक फर्जी शुद्धि-पत्र था । आरोपी पदा० का दावा है कि अंचल अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार होने के कारण उन्हें राजस्व कार्यों की पूरी जानकारी नहीं थी । अतिरिक्त प्रभार से किसी दायित्व के निर्वहन में छूट नहीं मिल सकती । किसी पदधारी, चाहे वह मूल पदधारी हो या अतिरिक्त प्रभारी, को अपने दायित्वों के निर्वहन में पूर्ण ज्ञान व सतर्कता से कार्य संपादित करने की बाध्यता होती है । किसी प्रकार का स्वत्व प्रमाण-पत्र (like land possession certificates etc.) निर्गत करने के पूर्व संबंधित राजस्व ग्राम के सभी अभिलेख (खतियान एवं मानचित्र) का अवलोकन करने का भी प्रयास नहीं किया गया । यदि वे राजस्व भूमि के भूमि अभिलेखों का अध्ययन करते तो सारी स्थिति उन्हें स्पष्ट हो जाती । प्रसंगाधीन राजस्व ग्राम में कोई रैयती जमीन 1932 के सर्वे खतियान के अनुसार नहीं थी, सारी जमीन सरकारी ही थी । आरोपी पदाधिकारी स्वीकार करते हैं कि उन्होंने संबंधित जमाबंदी सं०-56/01 का अवलोकन किया था और पाया था कि अब्दुल रज्जाक के नाम से 439.50 एकड़ भूमि की वह जमाबंदी संस्थित थी। आरोपी पदाधिकारी को सरकारी अथवा सर्वसाधारण के इतनी बड़ी भूमि की रैयती जमाबंदी पर प्रथमदृष्ट्या संदेह करना था । आरोपी पदाधिकारी द्वारा कानून की जानकारी नहीं रहने का तर्क विधि शास्त्र में स्वीकार्य नहीं है । कहा गया है कि- "ignorance of facts may be an excuse but ignorance of law is no excuse." अंचल अधिकारी का कार्य करने के क्रम में आरोपी पदाधिकारी को नियमों की पूरी जानकारी कानून की पुस्तकों से प्राप्त कर लेनी थी । ऐसा नहीं करने से उनके द्वारा प्रसंगाधीन करोड़ों की संपत्ति को अनावश्यक विवाद में डालकर सरकार को बड़ी आर्थिक क्षति पहुँचाई है । आरोपी पदाधिकारी का दावा मान्य नहीं है। आरोप पूर्णतः प्रमाणित होते हैं।

आरोप सं०-2(क) पर मंतव्य- स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा अस्तित्वहीन भूमि के आधार पर निर्गत L.P.C. अवैध था । साथ ही, गैर मजरूआ खास नाला के लिए भी L.P.C. दिया जाना नियमविरूद्ध था। अंचल कार्यालय में संबंधित ग्राम का राजस्व मानचित्र व खतियान उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में भी आरोपी पदाधिकारी को स्थल निरीक्षण कर किस्म जमीन व दखल के बारे में स्वयं संतुष्ट हो लेना था । जहाँ लगभग 500 एकड़ सरकारी अथवा सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि का किसी भी प्रकार का प्रमाण-पत्र निर्गत करने की आवश्यकता थी, वहाँ सरकारी भूमि के संरक्षक (अंचल अधिकारी) से इतनी सतर्कता बरतने की अपेक्षा तो विधिसंगत ही थी । आरोपी पदाधिकारी ने

सावधानी नहीं बरतकर अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं ही किया था । आरोपी पदाधिकारी का तर्क विधिमान्य नहीं है । आरोप प्रमाणित होते हैं ।

आरोप सं०-2(ख) पर मंतव्य- यह तथ्य है कि जमाबंदी पूर्व से चल रही थी और जमाबंदी की प्रविष्टियों के आधार पर आरोपी पदाधिकारी के द्वारा L.P.C. निर्गत किया गया था । यह भी तथ्य है कि Land possession Certificate निर्गत किये जाने का कोई कानूनी आधार नहीं था । इस दखल प्रमाण-पत्र को निर्गत करने के पूर्व अंचल अधिकारी ने स्थल निरीक्षण भी नहीं किया था । परिणाम गलत, आधारहीन प्रमाणपत्र निर्गमन के लिए आरोपी पदाधिकारी स्वयं उत्तरदायी हैं । आरोपी पदाधिकारी का यह दावा कि उनके द्वारा कोई विभाजन अथवा मुस्लिम कानून का उल्लंघन नहीं किया गया- मान्य नहीं हो सकता क्योंकि यदि जमाबंदी की प्रविष्टियाँ अशुद्ध थीं तो उन अशुद्ध प्रविष्टियों पर आधारित प्रमाणपत्र निर्गत कर उन अशुद्धियों का उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारी पर तो होगा ही । आरोप प्रमाणित होते हैं ।

आरोप सं०-3 पर मंतव्य- उपायुक्त के कथन से सहमत हुआ जा सकता है कि फर्जी जमाबंदी संज्ञान में आते ही अंचल अधिकारी (आरोपी पदाधिकारी) को तुरंत remedial measure लेना प्रारंभ कर देना चाहिए था, न कि उस भूल से किसी को लाभ पहुँचाने का कार्य करना । आरोपी पदाधिकारी के इस दावे में कोई सच्चाई नहीं नहीं है कि उन्होंने टाटा स्टील के साथ कोई पत्राचार नहीं किया था । अंचल अधिकारी, डोमचाँच के पत्रांक-388, दिनांक 5 अगस्त, 2013 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सूचनाधिकार अधिनियम अंतर्गत आरापी पदाधिकारी ने श्री जे०पी० दास, हैड, लैंड एवं मार्केट मेसर्स, टाटा स्टील लि० को सूचित किया था कि "हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार मौजा-तराई, थाना नं०-10 में अब्दुल रजाक खाँ के नाम में पंजी-2 के पृष्ठ सं०- 56/1 पर अंकित है एवं एल०पी०सी० निर्गत है तथा यह जमीन भूदान एवं भू-हदबंदी से बाहर है एवं सार्वजनिक प्रस्ताव में मुक्त है एवं मालगुजारी नियमित रूप से दिया जा रहा है, जिसका खाता सं०-01, प्लाट सं०-11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10 कुल रकबा-439.50 एकड़ जमीन अनेक रैयत के नाम से जमाबंदी कायम है एवं दखल कब्जा में है ।" आरोपी पदाधिकारी ने उक्त सूचना निर्गत कर विक्रय के संबंध में अपनी संपुष्टि ही दे दी थी । इसी संपुष्टि के लिए क्रेता मे० टाटा स्टील ने सूचनाधिकार का सहारा लिया था । आरोपी पदाधिकारी इसके महत्त्व को नहीं समझ सके थे । आरोप प्रमाणित होते हैं ।

आरोप सं०-4 पर मंतव्य- उपायुक्त का यह कहना उचित ही है कि फर्जी हुकुमनामे के आधार पर स्थापित जमाबंदी किसी भी हालत में वैध नहीं हो सकता । आरोपी पदाधिकारी को उक्त फर्जी जमाबंदी के आधार पर Land possession Certificate निर्गत करने के समय सतर्कतापूर्ण जाँच-पड़ताल कर लेना था । यदि जमींदार का रिटर्न उपलब्ध नहीं था, तब तो और संदेह करना था । प्रसंगाधीन भूमि का स्थलीय निरीक्षण कर लेना था । स्थलीय निरीक्षण से स्थिति काफी स्पष्ट हो जाती । यदि उनका अंचल का प्रभार अभी नया था, तब तो उन्हें और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता थी । आरोपी पदाधिकारी की असावधानी से राज्य सरकार को बड़ी राजस्व की क्षति हो गयी थी । आरोपी पदाधिकारी का बचाव-बयान स्वीकार योग्य नहीं है । आरोप प्रमाणित होते हैं ।

आरोप सं०-5 पर मंतव्य- यह सत्य है कि नामांतरण वाद के बाद शुद्धिपत्र तत्काल निर्गत किया जाता है । इस मामले में 47 वर्ष बाद शुद्धिपत्र का निर्गत किया जाना स्वयं ही संदेह का कारण है । आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि दिनांक 18 अगस्त, 2012 को शुद्धि-पत्र उनके द्वारा निर्गत नहीं किया गया था । यह उनके पदस्थापन के पूर्व का है । इन्होंने अंचल अधिकारी, डोमचाँच का पदभार दिनांक 14 फरवरी, 2013 को ग्रहण किया था । उपायुक्त ने भी आरोपी पदाधिकारी के इस दावे का सर्मथन किया है । शुद्धिपत्र आरोपी पदाधिकारी के पूर्व अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया था। इस स्थिति में आरोप प्रमाणित नहीं होता है ।

आरोप सं०-6 पर मंतव्य- जमाबंदी कायम करने के प्राधिकार कॉलम का उल्लेख नहीं है । जमाबंदी की लिखावट नयी है एवं पुराने लिखावटों से भिन्न है । यह एक अवैध जमाबंदी था । इसे स्थापित करने वाला कोई वाद अभिलेख जिला अथवा अंचल कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। इसी अवैध जमाबंदी को आधार बनाकर आरोपी पदाधिकारी ने अपने पत्रांक-193, दिनांक 9 अप्रैल, 2013 द्वारा बिक्री की जाने वाली भूमि के संबंध में प्रतिवेदित किया था कि यह भूमि उपरोक्त जमाबंदी के अंतर्गत विक्रेताओं के पूर्वज अब्दुल रज्जाक खाँ, पिता-कदीर खाँ के नाम से अंकित था तथा "अतिक्रमण मुक्त एवं बेचिरागी है ।" आरोपी पदा० ने कथित विक्रेताओं को दिनांक 4 मई, 2013 को land possession certificate निर्गत किया था । इन्होंने प्रसंगाधीन अंतरण भूमि में जमाबंदी की प्रविष्टियों की व भूमि के अतिक्रमणमुक्त रहने तथा विक्रेता के शांतिपूर्ण दखल कब्जे में रहने की सूचना दी थी । इन तथ्यों से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सभी साक्ष्य प्रस्तुत किये जा चुके हैं और आरोपी पदा० ने इन साक्ष्यों को चुनौती नहीं दी है । land possession certificate की वैधता के संबंध में आरोपी पदा० का यह कहना उचित है कि इससे किसी स्वत्व का निर्धारण नहीं होता परन्तु विक्रेताओं ने सरकारी भूमि पर अपने दावे को सुदृढ़ करने के लिए इसे प्राप्त किया और टाटा स्टील लि० को convince करने

में सफल हुए थे तथा लगभग पाँच करोड़ रूपये का अवैध अर्जन करने में सफल रहे थे । आरोप है कि आरोपी पदा० ने अस्तित्वहीन एवं काल्पनिक भूमि की बिक्री में सहयोग देकर विक्रेताओं को अवैध रूप से प्राप्त हुए 4.78 करोड़ रूपये की राशि के बंदरबाँट में शामिल होने के दोषी हैं । अवैध राशि की प्राप्ति के संबंध में आरोपी पदा० के विरूद्ध कोई साक्ष्य कार्यवाही के दौरान सरकारी पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः यह आरोप प्रमाणित नहीं हो सका है । उपरोक्त अन्य आरोप प्रमाणित होते हैं ।

आरोप सं०-7 पर मंतव्य- उपायुक्त, कोडरमा के ज्ञापांक-2620/गो०, दिनांक 29 सितम्बर, 2011 एवं ज्ञापांक-2856/गो०, दिनांक 9 नवम्बर, 2011 द्वारा निर्गत आदेश से जिले के सभी अंचलों की किसी मौजे में फर्जी एवं जाली हुकमनामों के आधार पर सरकारी भूमि/गैर मजरूआ भूमि का फर्जी और जाली हस्तांतरण, नामांतरण, लगान निर्धारण, जमाबंदी का गठन, लगान रसीद निर्गमन पर रोक लगा दी गयी थी । उस आदेश में ये भी निदेशित था कि भूतपूर्व जमींदारों के हुकमनामों के आधार पर कायम अवैध जमाबंदियों की जाँचकर अंचल अधिकारी उसे रद्द करने की कार्रवाई करेंगे । इस संबंध में उपायुक्त, कोडरमा द्वारा कई मासिक राजस्व बैठकों में निदेश भी दिया गया था कि प्रथमदृष्ट्या बड़े रकबे की कायम संदिग्ध जमाबंदियों को प्राथमिकता के आधार पर रद्द करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय । उक्त निदेश के आलोक में अपर समाहर्त्ता, कोडरमा की अध्यक्षता में विशेष शिविर का भी आयोजन किया गया था । आरोप है कि तराई मौजा के 439.50 एकड़ भूमि पर कायम अवैध जमाबंदी को रद्द करने हेतु आरोपी पदा० के स्तर से कोई अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गयी, जबकि एल०पी०सी० में कर्मचारी ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट कर दिया था कि ये गैर मजरूआ खास भूमि है । एक राजस्व पदाधिकारी द्वारा किसी भूमि विशेष के निमित्त निर्गत कोई भी प्रमाण पत्र, वह भी सरकारी हकीयत की भूमि के संबंध में सरकार के स्वत्व को क्षति तो पहुँचाता ही है, वर्तमान मामले में सरकार को उसके पाँच सौ एकड़ भूमि से महरूम तो कर ही दिया था, इन्हीं के द्वारा निर्गत एल०पी०सी० एवं पत्र (पत्रांक-388, दिनांक 5 अगस्त, 2013 क्रमांक 56/प०) पर विश्वास करके मे० टाटा स्टील लि० जैसी बड़ी और नामी कम्पनी गुमराह होकर फर्जी खरीद-बिक्री की शिकार हो गयी । स्पष्ट है कि आरोपी पदा० का दावा तर्क संगत व नियम संगत नहीं है। आरोप प्रमाणित होते हैं ।

आरोप सं०-8 पर मंतव्य- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आरोपी द्वारा टाटा स्टील लि० के मैनेजर श्री जे०पी० दास को गलत एवं भ्रामक सूचना उपलब्ध करायी गयी थी । सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत असत्य सूचना निर्गत नहीं की जा सकती है । आरोपी

पदाधिकारी ने भूमि के संबंध में स्थल से इतर सूचनाएँ निर्गत की थी, जो विधिमान्य नहीं थी और इस भूल के लिए आरोपी पदा० स्वयं उत्तररदायी थे । आरोप प्रमाणित होते हैं ।

आरोप सं०-9 पर मंतव्य- आरोपी पदाधिकारी का बचाव बयान एवं उपायुक्त के मंतव्य के आधार पर कहना है कि इस संबंध में कोई साक्ष्य सरकारी पक्ष से प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः यह आरोप प्रमाणित नहीं होता है ।

श्री मिश्र के विरूद्ध प्राप्त आरोप, इनके बचाव-बयान तथा संचालन पदाधिकारी के जाँच-प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग स्तर पर की गयी । समीक्षोपरान्त, प्रमाणित आरोपों हेतु इनकी परीक्ष्यमान अवधि को समाप्त कर सेवा से मुक्त करने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक-3084, दिनांक 11 अप्रैल, 2016 द्वारा श्री मिश्र से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी तथा इसके लिए स्मारित भी किया गया । तत्पश्चात् श्री मिश्र के पत्रांक-शून्य, दिनांक 24 सितम्बर, 2016 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया ।

श्री मिश्र के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन तथा द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत, यह पाया गया कि श्री मिश्र द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में कोई नया तथ्य या साक्ष्य समर्पित नहीं किया है ।

अतः सरकार द्वारा श्री रूक्मकेश मिश्र, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच, गृह जिला-गाजीपुर, उत्तर प्रदेश), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, डोमचाँच, कोडरमा, सम्प्रति-कार्यपालक दण्डाधिकारी, पाकुड को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के तहत् प्रमाणित आरोपों हेतु सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है ।

तद्नुसार, झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-18(7) के तहत् विभागीय पत्रांक-3213, दिनांक 17 मार्च, 2017 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, झारखण्ड, राँची से श्री मिश्र को सेवा से बर्खास्त करने संबंधी दण्ड अधिरोपित किये जाने पर सहमति की माँग की गयी। झारखण्ड लोक सेवा आयोग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1182, दिनांक 16 मई, 2017 द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है ।

तत्पश्चात् दिनांक 13 जून, 2017 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में श्री मिश्र को सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है ।

अतः श्री रूक्मकेश मिश्र, झा०प्र०से० (द्वतीय बैच, गृह जिला- गाजीपुर, उत्तर प्रदेश), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, डोमचाँच, कोडरमा, सम्प्रति-कार्यपालक दण्डाधिकारी, पाकुड़ को सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 617--200